DYDEO / DIO-NIC

ई–मेल / पंजीकृत

प्रेषक,

आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ/
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
विधान परिषद मेरठ खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।

जिलाधिकारी / जिला ... मेरठ। 15-10-25

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद,
हापुड़, बुलन्दशहर एवं गौतमबुद्धनगर/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
विधान परिषद मेरठ खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।

संख्याः– 77 /25–01/2024–26 दिनांकः– 14 अक्टूबर, 2025

विषयः– अर्हता तिथि 01–11–2025 के आधार पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद मेरठ खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी – सार्वजनिक नोटिस/सूचना का प्रथम पुनर्प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक विदित है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01–11–2025 के आधार पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद मेरठ खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के De-novo पुनरीक्षण हेतु आयोग द्वारा नियत कार्यक्रम के अन्तर्गत विधान परिषद मेरठ खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के सम्बन्ध में जारी सार्वजनिक नोटिस/सूचना का प्रथम पुनर्प्रकाशन (संलग्नक के अनुसार) दिनांक 15–10–2025 को प्रकाशनार्थ जारी कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि विधान परिषद मेरठ खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के सम्बन्ध में अपने जनपद से सम्बन्धित समस्त मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित कर, उन्हें दिनांक 30–09–2025 को प्रकाशित सार्वजनिक नोटिस/सूचना एवं पुनरीक्षण सम्बन्धी वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए, वर्तमान प्रथम पुनर्प्रकाशन की सूचना की प्रति कवरिंग लेटर के साथ हस्तगत करा दी जाए, और उनसे तत्सम्बन्धी प्राप्ति (Acknowledgement) भी ले ली जाए। निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 30–09–2025 को समाचार पत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक नोटिस/सूचना की प्रति सहित वर्तमान सूचना को भी नोटिस बोर्ड पर जन–सामान्य के अवलोकनार्थ प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मेरठ खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के सम्बन्ध में समस्त मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक का आयोजन शीघ्र ही कर लें, और दिनांक 15–10–2025 को प्रकाशनार्थ जारी सार्वजनिक नोटिस/सूचना के प्रथम पुनर्प्रकाशन का अपने–अपने जनपद में व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए उक्त को जनपदीय वेबसाईट पर अपलोड करादें तथा उक्त की प्रतियां सभी सम्बन्धितों को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नकः– यथोपरि।

(हृषिकेश भास्कर यशोद)
आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
विधान परिषद मेरठ खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हृषिकेश भास्कर यशोद)
आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
विधान परिषद मेरठ खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।

प्रेषक,

ई–मेल / पंजीकृत

आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ /
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
विधान परिषद मेरठ खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद,
हापुड़, बुलन्दशहर एवं गौतमबुद्धनगर / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
विधान परिषद मेरठ खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।

संख्याः– 177 / 25–01 / 2024–26 दिनांकः– 14 अक्टूबर, 2025

विषयः– अर्हता तिथि 01–11–2025 के आधार पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद मेरठ खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी – सार्वजनिक नोटिस / सूचना का प्रथम पुनर्प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक विदित है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01–11–2025 के आधार पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद मेरठ खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के De-novo पुनरीक्षण हेतु आयोग द्वारा नियत कार्यक्रम के अन्तर्गत विधान परिषद मेरठ खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के सम्बन्ध में जारी सार्वजनिक नोटिस / सूचना का प्रथम पुनर्प्रकाशन (संलग्नक के अनुसार) दिनांक 15–10–2025 को प्रकाशनार्थ जारी कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि विधान परिषद मेरठ खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के सम्बन्ध में अपने जनपद से सम्बन्धित समस्त मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित कर, उन्हें दिनांक 30–09–2025 को प्रकाशित सार्वजनिक नोटिस / सूचना एवं पुनरीक्षण सम्बन्धी वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए, वर्तमान प्रथम पुनर्प्रकाशन की सूचना की प्रति कवरिंग लेटर के साथ हस्तगत करा दी जाए, और उनसे तत्सम्बन्धी प्राप्ति (Acknowledgement) भी ले ली जाए। निर्वाचक / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 30–09–2025 को समाचार पत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक नोटिस / सूचना की प्रति सहित वर्तमान सूचना को भी नोटिस बोर्ड पर जन–सामान्य के अवलोकनार्थ प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मेरठ खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के सम्बन्ध में समस्त मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक का आयोजन शीघ्र ही कर लें, और दिनांक 15–10–2025 को प्रकाशनार्थ जारी सार्वजनिक नोटिस / सूचना के प्रथम पुनर्प्रकाशन का अपने–अपने जनपद में व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए, उक्त को जनपदीय वेबसाईट पर अपलोड करादें तथा उक्त की प्रतियां सभी सम्बन्धितों को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नकः– यथोपरि।

(हृषिकेश भास्कर यशोद)
आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ /
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
विधान परिषद मेरठ खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हृषिकेश भास्कर यशोद)
आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ /
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
विधान परिषद मेरठ खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।

अनुलग्नक–क–1

भारत निर्वाचन आयोग

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मेरठ खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम–31 (4) के अन्तर्गत नोटिस

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम–31 (3) के अनुसरण में, **मेरठ खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र** के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने, दिनांक 30–09–2025 के अपने नोटिस के द्वारा ऊपर उल्लिखित सम्बन्धित स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के पात्र सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा की थी कि वे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के साथ संलग्न प्ररूप में प्रकाशित और (1) दैनिक जागरण और (2) हिन्दुस्तान समाचार पत्रों के दिनांक 30–09–2025 के संस्करण में उक्त नोटिस की दूसरी अनुसूची में दिये गये फार्म–18 में अपना आवेदन दिनांक 06–11–2025 तक या उससे पहले उनके कार्यालय में भेज दें या उन्हें सुपुर्द कर दें।

उपर्युक्त सभी व्यक्ति फार्म–18 में अपने आवेदन दिनांक 06–11–2025 तक या उससे पहले जमा करवा दें, यदि उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

उक्त समस्त विवरण मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की शासकीय वेबसाइट **www.ceouttarpradesh.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

BMASHOD

(ह्रषिकेश भास्कर यशोद)
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ /
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
विधान परिषद मेरठ खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र।

Annexure-A-1

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Revision of Electoral Rolls for Meerut Division Graduates' Constituency of Uttar Pradesh Legislative Council

Notice under rule 31(4) of the Registration of Electors Rules, 1960

In pursuance of rule 31 (3) of the Registration of Electors Rules, 1960, Electoral Registration Officer of **MEERUT DIVISION GRADUATES' CONSTITUENCY**, vide their notice dated 30-09-2025, called upon every person entitled to be registered in the electoral roll of the relevant Graduates' Constituency mentioned above, to send to, or deliver at, his office on or before the 06-11-2025 (i.e. the last date of receipt of applications) application in Form 18 appended to the Registration of Electors Rules, 1960 and reproduced in the second schedule of the said notice published in the edition dated 30-09-2025 of (1) Dainik Jagran and (2) Hindustan news papers.

All the above-mentioned persons may submit their applications in Form 18 on or before 06-11-2025 (i.e. the last date of receipt of applications), If not already done.

The said all details are also available in the Official website of the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, Lucknow at **www.ceouttarpradesh.nic.in**

BYASHOD

(Hrishikesh Bhaskar Yashod)
Commissioner,
Meerut Division, Meerut/
Electoral Registration Officer,
Legislative Council Meerut Division Graduates' Constituency

अनुलग्नक–ख–1

भारत निर्वाचन आयोग

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मेरठ खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियों को तैयार करना

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम–31 (4) के अन्तर्गत नोटिस

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम–31 (3) के अनुसरण में, **मेरठ खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र** के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने दिनांक 30–09–2025 के अपने नोटिस के द्वारा उपर्युक्त उल्लिखित सम्बन्धित शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के पात्र सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा की थी कि वे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के साथ संलग्न प्ररूप में प्रकाशित और (1) दैनिक जागरण और (2) हिन्दुस्तान समाचार पत्रों के दिनांक 30–09–2025 के संस्करण में उक्त नोटिस की दूसरी अनुसूची में पुनर्प्रकाशित फार्म–19 में अपना आवेदन दिनांक 06–11–2025 तक या उससे पहले उनके कार्यालय में भेज दें या उन्हें सुपुर्द कर दें।

उपर्युक्त सभी व्यक्ति फार्म–19 में अपने आवेदन दिनांक 06–11–2025 तक या उससे पहले जमा करवा दें, यदि उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

उक्त समस्त विवरण मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की शासकीय वेबसाइट **www.ceouttarpradesh.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

HYASHOD

(हृषिकेश भास्कर यशोद)
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ/
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
विधान परिषद मेरठ खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।

Annexure-B-1

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Preparation of Electoral Rolls for Meerut Division Teachers' Constituency of Uttar Pradesh Legislative Council

Notice under rule 31(4) of the Registration of Electors Rules, 1960

In pursuance of rule 31 (3) of the Registration of Electors Rules, 1960, Electoral Registration Officer of **MEERUT DIVISION TEACHERS' CONSTITUENCY,** vide their notice dated 30-09-2025, called upon every person entitled to be registered in the electoral roll of the relevant Teachers' Constituency mentioned above, to send to, or deliver at, his office, on or before the 06-11-2025 (i.e. the last date of receipt of applications) an application in Form 19 appended to the Registration of Electors Rules, 1960 and reproduced in the second schedule of the said notice published in the edition dated 30-09-2025 of (1) Dainik Jagran and (2) Hindustan news papers.

All the above-mentioned persons may submit their applications in Form 19 on or before 06-11-2025 (i.e. the last date of receipt of applications), If not already done.

The said all details are also available in the Official website of the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, Lucknow at **www.ceouttarpradesh.nic.in**

BYASHOD

(Hrishikesh Bhaskar Yashod)

Commissioner,

Meerut Division, Meerut/

Electoral Registration Officer,

Legislative Council Meerut Division Teachers' Constituency